



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28040

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 5 वर्ष 2026

मो. समीर राव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मो. समीर राव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. स्वयं उपस्थित याचिकाकर्ता श्री मो. समीर राव और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. श्री बी.के. श्रीवास्तव ने बार में यह कथन किया है कि वह निर्देशों से भली-भांति अवगत हैं और मामले में बहस करने की स्थिति में हैं।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
4. वर्तमान रिट याचिकाकर्ता ने क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली द्वारा पारित दिनांक 24.12.2020 के उस आदेश को चुनौती देने के लिए रिट-सी संख्या 3671 वर्ष 2022, 14043/23, मो. समीर राव; श्याम कुमार हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य दायर कर इस न्यायालय का रुख किया था, जिसमें रिट याचिकाकर्ता के अपने नाम को शाहनवाज़ से मो. समीर राव में बदलने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त रिट याचिका को 25.05.2023 को स्वीकार कर लिया गया था।
5. इस पर प्रश्न उठाते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य ने विशेष अपील संख्या 459 वर्ष 2023, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मो. समीर राव के रूप में एक अंतः-न्यायालय अपील दायर की, जिसे 13.02.2025 को स्वीकार कर लिया गया।
6. अपीलीय पीठ द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देते हुए, स्वयं रिट याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 8382 वर्ष 2025, मो. समीर राव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दायर की, जिसका निर्णय 13.10.2025 को हुआ, जिसका आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"आदेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



1. यह याचिका विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों से उत्पन्न होती है तथा वर्ष 2013 और 2015 में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्रों में याचिकाकर्ता का नाम शाहनवाज़ दर्ज है।
2. वर्ष 2020 में, याचिकाकर्ता ने आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन करके अपना नाम 'मो. समीर राव' रख लिया। परिणामस्वरूप, उसने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्रों में नाम परिवर्तन के लिए एक आवेदन किया। इसे माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा खारिज कर दिया गया, इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।
3. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 25.05.2023 के आदेश द्वारा रिट याचिका स्वीकार कर ली। प्रत्यर्थियों द्वारा एक अंतः-न्यायालय अपील दायर की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इससे व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की गई है।
4. यह विवाद का विषय नहीं है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 25.05.2023 के आदेश द्वारा दो रिट याचिकाओं को स्वीकार किया था, हालांकि, प्रत्यर्थियों ने केवल याचिकाकर्ता के मामले में पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देने का विकल्प चुना।
5. यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि दूसरे याचिकाकर्ता से संबंधित आदेश को चुनौती नहीं दी गई क्योंकि उसके नाम में 'हरिजन' शब्द को शामिल करने के संबंध में एक सुधार था।
6. जो भी हो, हम पाते हैं कि वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में और साथ ही दूसरे याचिकाकर्ता के मामले में, जिसकी याचिका खारिज कर दी गई थी, तथ्य लगभग समान हैं।
7. मामले के उस दृष्टिकोण से, विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, इसे एक पूर्व-निर्णय के रूप में माने बिना, हम याचिकाकर्ता के नाम में परिवर्तन की अनुमति देने के इच्छुक हैं।
8. हम दोहराते हैं कि इस आदेश को किसी अन्य मामले में पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं माना जाएगा।
9. याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अनुरोध के अनुसार उसका नाम बदलने का निर्देश दिया जाता है।
10. उपरोक्त शर्तों के साथ विशेष अनुमति याचिका, लंबित आवेदन या आवेदनों, यदि कोई हों, के साथ निस्तारित की जाती है।
11. हम न्याय मित्र के रूप में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री रेखा पल्ली और उनकी सहायता करने वाले विद्वान एओआर श्री श्रीरंग बी. वर्मा के लिए अपनी प्रशंसा अभिलेख पर रखते हैं।"
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र और साथ ही बी.टेक प्रमाण पत्र में रिट याचिकाकर्ता का नाम मो. समीर राव के रूप में बदल गया। स्वयं रिट याचिकाकर्ता ने यहां प्रत्यर्थियों को आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, भर्ती अभिलेख में याचिकाकर्ता का नाम अपडेट करने का निर्देश देने वाले परमादेश की मांग के लिए रिट याचिका दायर की थी। इस न्यायालय ने दिनांक 14.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए रिट याचिका पर विचार किया:-

"1. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद मामले में निर्देश प्राप्त करें।

2. इस मामले को परसों यानी 16.01.2026 को नए मामले के रूप में प्रस्तुत करें।"

8. दिनांक 16.01.2026 को, निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"1. स्वयं याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि रिट याचिकाकर्ता ने इससे पहले अपना नाम शाहनवाज़ से मोहम्मद समीर राव में बदलने के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड से संपर्क किया था।

2. अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था, तब रिट याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष मोहम्मद समीर राव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में कार्यवाही शुरू की, जिसे स्वीकार कर लिया गया था, जिसके विरुद्ध एक अंतः-न्यायालय अपील दायर की गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करने का दावा किया है, जिसका निर्णय 13.10.2025 को यहां के प्रत्यर्थियों को रिट याचिकाकर्ता का नाम मोहम्मद समीर राव के रूप में बदलने का निर्देश देते हुए किया गया था। रिट याचिकाकर्ता ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र में नाम में किए गए सुधारों के आधार पर नाम को सही करने के लिए प्रत्यर्थियों से संपर्क किया था। हालांकि, उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने यद्यपि निर्देश प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश आलोक में तथा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्रों में नाम परिवर्तन के लिए आगे के निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगते हैं।

4. इस मामले को 22.01.2026 को नए मामले के रूप में प्रस्तुत करें।"

9. 22.01.2026 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए:-

"1. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आज न्यायालय में निर्देश दाखिल किए हैं। इन्हें अभिलेख पर लिया जाता है।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को आज ही याचिकाकर्ता को निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

2. याचिकाकर्ता को सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक निर्देशों का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

3. इस मामले को 30.1.2026 को नए मामले के रूप में उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।"

10. स्वयं उपस्थित रिट याचिकाकर्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि वर्तमान याचिका में किए गए अनुरोध को स्वीकार किया जाना चाहिए और प्रत्यर्थियों को एक परमादेश जारी किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में एक बार हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बी.टेक प्रमाण पत्रों में रिट याचिकाकर्ता का नाम मो. समीर राव के रूप में बदल गया है, तो उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक आवेदन पत्र में रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार न करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं रह जाता है। तर्क यह है कि उस संबंध में एक ही व्यक्ति की दो पहचान नहीं हो सकती है।

11. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश प्रोन्नति और भर्ती बोर्ड, लखनऊ द्वारा पिछले अवसर पर दिनांक 13.01.2026 को न्यायालय को निर्देश भेजे गए थे और साथ ही दिनांक 20.01.2026 के निर्देश भी भेजे गए थे। निर्देशों के अनुसार, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11.09.2025 थी और नाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबंधित करने वाले एक विशिष्ट खंड के मद्देनजर वह भी कट ऑफ तिथि के बाद रिट याचिकाकर्ता को नाम में किसी भी बदलाव के लिए अपात्र बनाता है। स्वयं रिट याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कट ऑफ तिथि 11.09.2025 के बाद 13.10.2025 को पारित किया गया था। इस प्रकार अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. इस मोड़ पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि सामान्यतः यह राज्य और उसके उपक्रमों का नीतिगत निर्णय होता है कि वे निर्धारित समय-सीमा से विचलित नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि रिट याचिकाकर्ता का मामला असाधारण श्रेणी में आता है और मौजूद मध्यवर्ती परिस्थितियों को देखते हुए, अब रिट याचिकाकर्ता के मामले को असाधारण श्रेणी के तहत माना जाएगा, लेकिन यह न्यायालय राय दे सकता है कि इसे दूसरों के लिए पूर्व निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।

13. अदालत में प्रस्तुत किए गए तर्कों और संबंधित पक्षों द्वारा लिए गए रुख को सुनने के बाद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वयं रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.10.2025 के आदेश के आधार पर, अब उनका नाम हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बी.टेक प्रमाण पत्रों में मो. समीर राव के रूप में बदल गया है, और चूंकि एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग नाम नहीं हो सकते हैं, इस प्रकार मध्यवर्ती परिस्थितियों में असाधारण श्रेणियों में, सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को उस संबंध में मो. समीर राव के रूप में सही करते हुए रिट याचिकाकर्ता के नाम में आवश्यक सुधार करने का निर्देश जारी किया जाता है।

14. शीघ्र निस्तारण की सुविधा के लिए, रिट याचिकाकर्ता अगले सप्ताह, यानी 16.02.2026 को सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड से संपर्क करेगा और औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन स्वयं रिट याचिकाकर्ता का नाम मो. समीर राव के रूप में सही किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आज पारित आदेश को बाध्यकारी पूर्व निर्णय नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो मामले प्राधिकारी के समक्ष आएंगे, उनसे उनके अपने गुण-दोष के आधार पर निपटा जाएगा।

15. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

16. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट ए और बी के रूप में अंकित किया जाता है और आदेश-पत्र के साथ पत्रावली में रखा जाएगा।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"